[illegible] जवाब

[illegible] जवाब

[illegible] जवाब

[illegible] जवाब

[illegible] वास्ते
[illegible] हो

28-2-20 वकील उपस्थित। वकील [illegible] को [illegible] तकमी नहीं करवाई जा सकी पत्रावली वास्ते तकमीली दिनांक 28-2-20 को पेश हो।

28-2-20 वकील उपस्थित। वकील वादी द्वारा वादीगण का प्रतिवादी के साथ राजीनामा होने बाबत कथन किया एवं वादीगण इस वाद में आगे कार्यवाही नहीं चाहते बाबत मर्दअकाम की पुश्त (मर्दअकाम पर) अंकन किया।

वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहने एवं पक्षकारान का आपस में राजीनामा होने पर पत्रावली को अन्तिम स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दायरा तालाबंदी से कम होकर दाखिल अभिलेखागार हो।

(उमेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थिनी को प्रार्थी के साथ हो गया है अतः अब प्रार्थी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। रसदीप सिंह एडवोकेट वकील

(B.S. BRAR)
Adv.
28/2/20

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 15:27:02 IST
Reason: SelfAttested